



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 28.01.2026

थाना सन्तनगर पुलिस द्वारा क्रूरता पूर्वक पिकअप में लाद कर वध हेतु ले जाए जा रहे 05 राशि गोवंश बरामद व 01 गो-तस्कर गिरफ्तार—

"सोमेन बर्मा" पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व पशु तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में जनपद में गो-तस्करी तथा इसमें संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर लगातार अलग-अलग थाना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में दिनांक: 27.01.2026 को थाना सन्तनगर पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिरी सूचना के आधार पर थाना सन्तनगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बनकी तिराहा के पास से पिकअप सवार 01 अभियुक्त अनिल प्रजापति उर्फ झंगटू पुत्र सियाराम प्रजापति निवासी सरईगढ़ टाड़ीपर थाना रायपुर जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार किया गया तथा एक अभियुक्त भौतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर मौके से भागने में सफल हो गया। पिकअप में क्रूरता पूर्वक बांध कर वध हेतु ले जाये जा रहे कुल 05 राशि गोवंशों को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सन्तनगर पर मु030सं0-09/2026 धारा 3/5a/5b/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मार्गदर्शन दिया गया। गो तस्करी की घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन संख्या BR 45 GB 0712 को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

1. अनिल प्रजापति उर्फ झंगटू पुत्र सियाराम प्रजापति निवासी सरईगढ़ टाड़ीपर थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।

बरामदगी विवरण-

05 राशि गोवंश व तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन संख्या BR 45 GB 0712.

पंजीकृत अभियोग —

मु030सं0-09/2026 धारा 3/5a/5b/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास-

- मु030सं0 21/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।
- मु030सं0 68/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निरीक्षक व 11 पशु क्रूरता अधिकारी 1960 थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।
- मु030सं0 23/20 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिकारी थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।
- मु030सं0 56/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निरीक्षक, 11 पशु क्रूरता अधिकारी व 120बी, 279, 307, 337, 338, 427 भादवी थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र।

5. मु0अ0सं0 129/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निराधिरा, 11 पशु क्रुरता अधिरा व 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र ।
6. मु0अ0सं0 170/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निराधिरा, 11 पशु क्रुरता अधिरा व 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र ।
7. मु0अ0सं0 26/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निराधिरा व 11 पशु क्रुरता अधिरा 1960 थाना कोराव जनपद प्रयागराज ।
8. मु0अ0सं0 111/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निराधिरा व 11(1)(I) पशु क्रुरता अधिरा थाना रायपुर जनपद सोनभद्र ।
9. मु0अ0सं0 111/24 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिरा थाना रायपुर जनपद सोनभद्र थाना रायपुर जनपद सोनभद्र ।
10. मु0अ0सं0 120/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रायपुर जनपद सोनभद्र ।
11. मु0अ0सं0 84/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 3/5ए/8/5(ख) गौहत्या निराधिरा, 109(1) बीएनएस थाना रायपुर जनपद सोनभद्र ।
12. मु0अ0सं0 01/26 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिरा थाना रायपुर जनपद सोनभद्र ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार मय पुलिस टीम थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर ।

